

क्लस्टर आधारित तालाबों में अर्धसघन मत्स्य पालन परियोजना के विस्तृत दिशा-निर्देश

यह योजना उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में अर्ध-सघन मत्स्य पालन के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने और उत्पादन को 4.0 - 5.0 टन/हेक्टेयर से बढ़ाकर 8.0 - 10.0 टन/हेक्टेयर करने के उद्देश्य से बनाई गई है।

1. योजना की संरचना और लक्ष्य

- कार्यान्वयन अवधि: वार्षिक गतिविधि माह जुलाई से माह जून तक है।
- क्लस्टर दृष्टिकोण: 10-20 हेक्टेयर का जल क्षेत्र (2 किमी के दायरे में) को एकल क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा।
- प्रबंधन: इन क्लस्टरों का प्रबंधन मत्स्य पालक उत्पादक समूहों (FFPGs) के माध्यम से किया जाएगा।
- कुल लक्ष्य: 3 वर्षों में कुल 1,665 क्लस्टर, 33,300 लाभार्थी और 20,000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने का लक्ष्य है।

2. लाभार्थी चयन हेतु पात्रता और मानदंड

योजना के तहत पारदर्शी और प्रभावी चयन सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थियों का चयन निम्नलिखित जिला स्तरीय समिति के माध्यम से किया जाएगा:-

- क) मुख्य विकास अधिकारी - अध्यक्ष
- ख) जिला अधिकारी द्वारा नामित कोई भी जनपदीय अधिकारी - सदस्य
- ग) मुख्य कार्यकारी अधिकारी / सहायक निदेशक मत्स्य- सदस्य
- घ) जिला परियोजना प्रबंधक, यूपी डास्प- सदस्य सचिव

चयन का आधार-

- तालाब का प्रकार: निजी तालाब या पट्टे पर दिए गए सामुदायिक तालाब (न्यूनतम 0.2 हेक्टेयर)।
- पट्टा अवधि: सामुदायिक तालाबों के मामले में शेष पट्टा अवधि कम से कम 5 वर्ष होनी चाहिए।
- पानी की उपलब्धता: 8-10 महीने जल धारण क्षमता और 1.2 से 2.0 मीटर की गहराई अनिवार्य है।

• अन्य शर्तें:-

क) आवेदक बैंक का डिफॉल्टर या किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए।

ख) महिला भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।

ग) जो व्यक्ति पहले से ही मत्स्य पालन की निवेश योजनाओं का लाभ ले रहे हैं या बैंक डिफॉल्टर हैं, वे इसके पात्र नहीं होंगे।

3. वार्षिक कार्य कैलेंडर (महत्वपूर्ण गतिविधियाँ)

योजना को चरणों में लागू किया जाएगा ताकि बेहतर विकास और उत्तरजीविता दर सुनिश्चित हो सके:

महीना/अवधि	मुख्य गतिविधि	उद्देश्य
मार्च - अप्रैल	तालाब को सुखाना, जुताई और मरम्मत	बीमारियों और परजीवियों का नियंत्रण
अप्रैल - मई	चूना डालना और गोबर की खाद का प्रयोग	मिट्टी में सुधार और प्राकृतिक भोजन तैयार करना
मई - जून	पानी भरना और प्लवक (Plankton) तैयार करना	बीज संचयन के लिए तैयारी
जून - जुलाई	मत्स्य बीज संचयन (Stocking)	पालन चक्र की शुरुआत
जुलाई - सितंबर	नियमित आहार और पानी की जांच	विकास और स्वास्थ्य में सुधार
अक्टूबर - नवंबर	विकास की जांच और आंशिक कटाई	उत्पादन और आय में वृद्धि
दिसंबर - जनवरी	शीतकालीन देखभाल और स्वास्थ्य प्रबंधन	रोग नियंत्रण
फरवरी - मार्च	पूर्ण कटाई (Harvesting)	विपणन और लाभ प्राप्त करना

4. इनपुट और तकनीकी मानक

1. **मत्स्य बीज:** 80 मिमी या उससे अधिक आकार के फिंगरलिंग्स को प्राथमिकता दी जाएगी।

2. **संचयन घनत्व:** 8,000 - 10,000 फिंगरलिंग्स प्रति हेक्टेयर होना चाहिए।

3. **प्रजाति मिश्रण:**

क) 3 प्रजातियां: कतला (30%), रोहू (40%), मृगल (30%)।

ख) 5 प्रजातियां: कतला, रोहू, मृगल, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प।

4. **मत्स्य आहार:** संतुलित आहार जिसमें 24-28% प्रोटीन हो। कुल 60 क्विंटल/हेक्टेयर आहार की आवश्यकता में से 35 क्विंटल परियोजना

द्वारा समर्थित है और शेष 25 क्विंटल लाभार्थी को स्वयं प्रबंधित करना होगा।

5. वित्तीय सहायता (प्रति हेक्टेयर लागत)

परियोजना के तहत प्रति हेक्टेयर कुल ₹1,60,000 की सहायता का प्रावधान है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र०सं०	मद	लागत प्रति हेक्टेयर
1	मछली के अंगुलिकाएं (Fingerlings)	₹16,000
2	निर्मित मछली दाना (35 क्विंटल)	₹1,33,000
3	नर्सरी प्रबंधन	₹6,000
4	तालाब और जल प्रबंधन	₹5,000
	कुल सहायता (परियोजना हिस्सा)	₹1,60,000

5. क्लस्टर निर्माण के दिशा-निर्देश

योजना के सफल संचालन के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया है:

- क्षेत्रफल और दायरा: प्रत्येक क्लस्टर में कुल जल क्षेत्र 20.0 हेक्टेयर होना चाहिए। यह क्लस्टर अधिकतम 2.0 किमी के दायरे में विकसित किया जाएगा।
- कनेक्टिविटी: क्लस्टर ऐसे स्थानों पर बनाए जाएंगे जहाँ आवाजाही के लिए सुलभ रास्ते हों।
- सदस्य सीमा: एक क्लस्टर में सदस्यों की संख्या 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- प्रकार: क्लस्टर में सामुदायिक और निजी दोनों प्रकार के तालाब शामिल हो सकते हैं।
- कुल लक्ष्य: परियोजना का लक्ष्य 3 वर्षों में 1,665 क्लस्टर बनाना और 33,300 लाभार्थी किसानों को जोड़ना है।

6. मत्स्य पालक उत्पादक समूह (FFPGs) का गठन

क्लस्टर के सामूहिक प्रबंधन के लिए FFPG का गठन किया जाएगा:

- 1) गठन प्रक्रिया: सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन के कर्मचारी इच्छुक व्यक्तियों को संगठित करेंगे और उन्हें परियोजना के लाभों के बारे में जागरूक करेंगे।
- 2) प्रबंधन: समूहों का संचालन निर्धारित उपनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
- 3) प्रगतिशील मत्स्य पालक जिसे प्रदर्शन तालाब परियोजना के अंतर्गत चयन किया गया हो, समूह का नेतृत्व करेगा तथा मुख्य प्रशिक्षक का कार्य करेगा
- 4) **सदस्य सीमा:** एक क्लस्टर में सदस्यों की संख्या 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 5) **तालाब का आकार:** सामुदायिक तालाब और निजी तालाब न्यूनतम 0.2 हेक्टेयर का होना चाहिए।
- 6) **पट्टा अवधि:** सामुदायिक तालाब के पट्टे की शेष अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- 7) **बैंक खाता:** प्रत्येक सदस्य का पास के बैंक में सक्रिय खाता होना अनिवार्य है। खाता न होने पर SO कर्मचारी सहायता करेंगे।
- 8) **दस्तावेज:** सदस्यों का बैंक खाता होना अनिवार्य है और तालाब का जियो-टैग्ड फोटो लिया जाएगा। चयनित तालाबों के जीओ-टैग्ड (Geotagged) फोटो और किसानों का पूरा विवरण DPIU कार्यालय में जमा किया जाएगा।

7. आदर्श जल मानक

सफल उत्पादन के लिए निम्नलिखित मानकों का पालन किया जाना चाहिए:

- pH मान: 7.0 से 8.5 के बीच।
- घुलनशील ऑक्सीजन (DO): >5 mg/l
- पानी की गहराई: 1.2 से 2.0 मीटर (न्यूनतम 1.0 मीटर)।
- पारदर्शिता: 25-40 सेमी।

8. परियोजना के अपेक्षित परिणाम (Outcomes)

1. **उत्पादकता में वृद्धि-** पारंपरिक खेती (4.0-5.0 टन/हेक्टेयर) से वैज्ञानिक खेती की ओर संक्रमण से उत्पादन 7.0-8.0 टन/हेक्टेयर तक की वृद्धि होगी।

2. आर्थिक लाभ

- **आय में वृद्धि:** इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन से किसानों की आय में 50% से 70% तक की वृद्धि होने की संभावना है।
- **लागत दक्षता:** समूह (FFPG) के माध्यम से इनपुट (बीज और चारा) की खरीद से लागत में कमी आएगी और बेहतर लाभ प्राप्त होगा।

3. तकनीकी और ढांचागत परिणाम

- 80 मिमी या उससे अधिक आकार के अंगुलिकाओं (Fingerlings) के संचयन से मछलियों के जीवित रहने की दर अधिक होगी।
- **कुशल संसाधन उपयोग:** 20.0 हेक्टेयर के क्लस्टर निर्माण से जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन और निगरानी सुनिश्चित होगी।

4. सामाजिक और सामुदायिक प्रभाव-

- **सामूहिक प्रबंधन:** मत्स्य पालक उत्पादक समूहों (FFPG) के माध्यम से किसान एक साथ काम करेंगे, जिससे उनकी मोलभाव करने की शक्ति बढ़ेगी।
- **समावेशी विकास:** परियोजना के तहत महिला भागीदारी और छोटे पट्टाधारकों को प्रोत्साहित करने से ग्रामीण स्तर पर समावेशी विकास होगा।
- **कौशल विकास:** प्रशिक्षण और हैंडहोल्डिंग सपोर्ट के माध्यम से किसानों को आधुनिक मत्स्य पालन तकनीकों में निपुण बनाया जाएगा।

5. जोखिम प्रबंधन

- **बीमारी और हानि में कमी:** नियमित जल परीक्षण और वैज्ञानिक फीडिंग शेड्यूल से बीमारियों का जोखिम कम होगा।
- **स्थिरता:** 3 वर्षों के निरंतर सहयोग के बाद क्लस्टर आत्मनिर्भर और सक्रिय रहेंगे, जिससे मत्स्य पालन एक स्थायी आजीविका बन सकेगा।

POND-BASED CLUSTER DEVELOPMENT PLAN PRIVATE POND DATA FOR SURVEY

KEY STATISTICS

Total Districts Covered	27
Total Sub-Districts (Tehsils)	126
Total Eligible Ponds (≥0.2 Ha)	52,594
Total Pond Area (Ha)	40,553.16
Total Clusters Formed	3,156
Full Clusters (10–12 Ha)	2,317
Partial Clusters (<10 Ha)	454
Large Single-Village Clusters (>12 Ha)	385

Note – Bhadoi district not included

Source – Compiled by UPAGREES Data cell generated from remote sensing and revenue records

DISTRICT-WISE CLUSTER SUMMARY							
District	Total Clusters	Full Clusters (10-12 Ha)	Partial Clusters (<10 Ha)	Large Village Clusters (>12 Ha)	Total Ponds	Total Area (Ha)	Avg Cluster Area (Ha)
JAUNPUR	240	185	29	26	4665	2930.67	12.21

AZAMGARH	226	158	34	34	4085	3043.48	13.47
GONDA	210	127	41	42	3228	2695.84	12.84
BASTI	203	150	27	26	2831	2602.82	12.82
SIDDHARTH NAGAR	156	125	17	14	2910	1867.6	11.97
GORAKHPUR	155	131	14	10	3090	1977.87	12.76
BALRAMPUR	139	83	28	28	1937	1969.44	14.17
BANDA	131	85	23	23	1963	1629.67	12.44
MAHARAJGANJ	130	102	16	12	2820	1601.13	12.32
GHAZIPUR	127	101	16	10	2254	1665.64	13.12
MIRZAPUR	124	101	13	10	1698	1522.93	12.28
SONBHADRA	118	90	16	12	1610	2309.86	19.58
BAHRAICH	111	80	16	15	1772	1425	12.84
MAHOBA	98	51	21	26	1135	1391.71	14.2
SANT KABEER NAGAR	90	67	13	10	1546	1020.9	11.34
DEORIA	87	76	8	3	1909	958.99	11.02
KUSHI NAGAR	86	72	10	4	1817	952.01	11.07
JALAUN	85	78	6	1	1351	960.12	11.3
CHANDAULI	84	69	9	6	1218	1085.59	12.92
MAU	82	67	9	6	1579	1102.3	13.44
CHITRAKOOT	81	55	14	12	1182	982.52	12.13
HAMIRPUR	79	67	8	4	1108	943.98	11.95
SHRAVASTI	75	44	16	15	1221	987.74	13.17
JHANSI	69	40	17	12	812	833.86	12.08
VARANASI	68	61	5	2	1326	831.07	12.22
LALITPUR	59	17	21	21	696	785.6	13.32
BALLIA	43	35	7	1	831	474.82	11.04
TOTAL	3156	2317	454	385	52594	40553.16	12.74

LEGEND — Cluster Status

1	Full (10-12 Ha)	Cluster meets the 10–12 Ha target; ready for development plan
2	Partial (<10 Ha)	Cluster is below 10 Ha — end-of-sub-district remnant; may be merged with adjacent sub-district clusters
3	Large Single Village (>12 Ha)	Single village whose pond area exceeds 12 Ha; can be subdivided into multiple clusters

District-Wise Full Cluster Villages — Maximum 20 Ponds per Cluster

DISTRICT-WISE SUMMARY

District	Total Clusters	Total Ponds	Total Area (Ha)
----------	----------------	-------------	-----------------

BASTI	115	1561	1338.35
MIRZAPUR	85	1082	985.4
AZAMGARH	81	1365	926.17
JAUNPUR	77	1314	850.51
GONDA	75	1065	881.81
SONBHADRA	73	944	853.11
BANDA	70	1021	863.7
SIDDHARTH NAGAR	64	973	734.25
JALAUN	62	925	719.2
CHANDAULI	61	922	718.04
BALRAMPUR	61	836	757.31
BAHRAICH	58	863	720.26
HAMIRPUR	58	803	721.98
GHAZIPUR	57	921	653.16
GORAKHPUR	54	894	613.17
MAHOBA	47	594	595.29
CHITRAKOOT	45	660	550.24
SANT KABEER NAGAR	36	594	393.01
JHANSI	35	397	431.83
MAU	33	547	361.86
VARANASI	32	566	361.66
MAHARAJGANJ	27	439	299.74
KUSHI NAGAR	24	403	272.43
DEORIA	20	364	217.55
SHRAVASTI	19	308	223.93
BALLIA	18	304	195.5
LALITPUR	14	141	178.13
TOTAL (27 Districts)	1401	20806	16417.61